

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:- एफ4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/अलेसे-III/6813 दिनांक :- 08/09/25

कार्यालय आदेश

सुश्री रंजना तानाण, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नम्बर- 720266) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को कार्यालय तहसीलदार, सूजानगढ़ जिला चूरू के पत्र क्रमांक 200 दिनांक 14.07.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम (प्रथम खण्ड) के नियम-96 अन्तर्गत एवं वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 10.05.2025 से 23.05.2025 तक (कुल 14 दिवस)

उक्त 14 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज कार्मिक सुश्री रंजना तानाण, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे। उपरोक्तानुसार स्वीकृत अवकाश अवधि तक के लिए कार्मिक की परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)(1)(6)/निप/भर्ती-2023/अलेसे-III/6813 दिनांक :- 08/09/25
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय तहसीलदार, सूजानगढ़ जिला चूरू।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. सुश्री रंजना तानाण, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नम्बर- 720266) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय तहसीलदार सूजानगढ़ जिला चूरू।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)